

मुन्नी देवी बतल / जगदीश व अम
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

७५५

में अंतिम इतर कर दिया जाता है। आगामी पेशी पर पालना नहीं होने पर उचित आदेश फरमाया जावेगा। पत्रावली वस्तु तेलबी प्रतिवादीगण है। आशुदा दिनांक 18/8/2025 को पेश हो।

19
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जोधपुर

18/8/25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण वादीगण अनुपस्थित। प्रतिवादीगण की तरफ से कोई उपस्थित नहीं। वकील वादीगण वादीगणको बार-बार रुक-रुक कर आवाजें दिलवाई गई। बावजूद न तो वकील वादीगण ही वादीगण स्वयं उपस्थित आए। अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T.A. 1955 अदक एजरी अदन पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैलल शुमार होकर नगर से कम होकर दाखिल रहकर हो।



19
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जोधपुर